RJPP, Vol. XXIII, No.I, Oct.24-Mar.25, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411
Impact Factor 8.858

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और पंचायती राज

कैलाश
सहायक आचार्य
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर
ईमेलः kailashchaudhary@gmial.com

सारांश

*"महिला राष्ट्र के भाग्य की निर्माता है। यद्यपि वह लिली की तरह कोमल और कोमल है, लेकिन उसका हृदय पुरुष की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और साहसी है। वह पुरुष के आगे बढ़ने की सर्वोच्च प्रेरणा है"। **रवीन्द्रनाथ टैगोर***

मानव विकास के इतिहास में, महिला का महत्व पुरुष जितना ही रहा है। वास्तव में समाज में महिलाओं की स्थिति, रोजगार और उनके द्वारा किया गया कार्य राष्ट्र की समग्र प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के बिना, किसी देश की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रगति रुक जाएगी। तथ्य यह है कि महिलाओं की अधिकांश घरेलू भूमिका आर्थिक गतिविधियों और परिवार के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए उनके कौशल और श्रम के उपयोग के साथ जुड़ी हुई है, जिससे परिवार एक सभ्य जीवन जी पाता है। महिलाओं को समाज की "बेहतर अर्धांगिनी" और पुरुषों के बराबर माना जाता है। यह महसूस करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों के जीवन में वास्तविक "बेहतर अर्धांगिनी" हैं। वे प्रचुर जिम्मेदारी साझा करती हैं और परिवार चलाने, पालन–पोषण, भोजन, कृषि श्रम, घरेलू पशुओं की देखभाल आदि जैसे घरेलू कार्यों को संभालने में कर्तव्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्वहन करती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो महिलाओं को अब अधिक जिम्मेदारी से निभाने की आवश्यकता है, वह है राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 15.02.2025
Approved: 18.03.2025

कैलाश

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और पंचायती राज

RJPP Oct.24-Mar.25, Vol. XXIII, No. I, Article No. 18 Pg. 139-145

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2025-vol-xxiii-no1

कैलाश

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए और सरकारों और समाज को महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए इस तरह से कदम उठाने चाहिए। इसके लिए, स्थानीय स्वशासन में भागीदारी प्रारंभिक कदम प्रदान करती है क्योंकि वे ग्रामीण लोगों के करीब हैं। पंचायती राज संस्थाओं को हमेशा सुशासन के साधन के रूप में माना जाता है और 73वें संवैधानिक संशोधन को इस आशा के साथ प्रभावित किया गया था कि इससे बेहतर शासन होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे समाज के वंचित वर्ग को राजनीतिक स्थान मिलेगा। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और विकास की योजना तैयार करने में महिलाओं की भागीदारी के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इस संशोधन में प्रावधान किया गया है कि कम से कम एक तिहाई महिलाएं पंचायतों की सदस्य और अध्यक्ष होंगी। जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी सामाजिक–आर्थिक विकास लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। पंचायती राज को सत्ता का विकेन्द्रीकरण लोगों को सशक्त बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के साधन के रूप में देखा जाता है। स्थानीय सरकारें लोगों के करीब होने के कारण स्थानीय जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकती हैं। किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब शासन में व्यापक भागीदारी हो। इसलिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक प्रणाली जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, शुरू की गई 1992 में संसद द्वारा 73वें संशोधन को अपनाए जाने से जमीनी स्तर पर ग्रामीण स्तर पर वास्तविक लोकतंत्र बनाने की एक बड़ी क्रांतिकारी क्षमता थी। यह ग्रामीण भारत की सूरत बदलने का एक ऐतिहासिक अवसर था। संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि संसाधन, जिम्मेदारी और निर्णय लेने की शक्ति को केंद्र सरकार से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण जमीनी स्तर के लोगों को हस्तांतरित किया जाए। उनका मुख्य उद्देश्य पंचायतों के माध्यम से लोगों तक सत्ता पहुँचाने के महात्मा गांधी के सपने को साकार करना था।

दार्शनिक रूप से, पंचायती राज एक बहुआयामी विचार है। विभिन्न विचारकों के लेखन में इसकी बहुलवादी परिभाषाएँ और व्यापक अर्थ हैं। पंचायती राज की विचारधारा पर जोर देते हुए गांधीजी ने कहा, भारत अपने गाँव में बसता है। स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए, इस प्रकार प्रत्येक गाँव एक गणराज्य या पंचायती बन जाएगा, जिसमें पूर्ण शक्तियाँ होंगी। उन्होंने विशेष रूप से पूर्ण स्वराज के साथ–साथ ग्राम स्वराज की अवधारणा की परिकल्पना की। गांधीजी ने ठीक ही कहा था कि स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए। और यह इस बात पर जोर देने के लिए है कि महिला सशक्तिकरण भी गाँवों, जमीनी स्तर की इकाइयों से शुरू होना चाहिए।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण, विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में, उनकी उन्नति और लैंगिक समानता वाले समाज की नींव के लिए महत्वपूर्ण है। यह समानता, विकास और शांति के लक्ष्यों के लिए केंद्रीय है। आधी सदी से भी अधिक पुराना भारतीय लोकतंत्र अगली सदी में प्रवेश कर चुका है। लेकिन अभी भी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक क्षेत्र से बाहर है। निर्णय लेने

के विभिन्न स्तरों पर पुरुषों और महिलाओं की समान और आनुपातिक भागीदारी के बिना कोई सच्चा लोकतंत्र या शासन और विकास में लोगों की सच्ची भागीदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं की उन्नति का अभिन्न अंग है।

दुनिया भर के समाजों में एक आम बात यह है कि महिलाओं की मुख्य भूमिका खाना पकाना, बच्चों और घर की देखभाल करना है। विभिन्न समाजों में अलग–अलग सामाजिक मानदंड और मूल्य होते हैं। कुछ समाजों में पुरुषों और महिलाओं दोनों को विशिष्ट भूमिकाएँ और कर्तव्य सौंपे जाते हैं। अधिकांश विकासशील देशों में, महिलाओं की केवल प्रजनन भूमिका को ही मान्यता दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में, महिलाओं के लिए जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेना संभव नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक कारक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में बाधा डालते हैं। संस्थागत कारक भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं। प्रति जिले में अधिक सीटों वाली चुनावी प्रणाली और सीटों के आवंटन के लिए आनुपातिक सूत्र महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। कोटा प्रणाली एक और महत्वपूर्ण संस्थागत उपकरण है जो विधायिका में न्यूनतम संख्या में महिला सीट धारकों की गारंटी दे सकता है। महिलाएँ भारत में शासन बदल रही हैं। संविधान में संशोधन के परिणामस्वरूप वे अभूतपूर्व संख्या में स्थानीय परिषदों में चुनी जा रही हैं, जो स्थानीय सरकारों या पंचायती राज संस्था प्रणाली में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य बनाती हैं।

PRI ने जिन महिलाओं को राजनीति में लाया है, वे अब शासन कर रही हैं, चाहे वह एक गाँव में हो या 100 गाँवों या एक जिले जैसे बड़े क्षेत्र में। राष्ट्रीय राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली के पुनर्गठन की यह प्रक्रिया जनवरी 1994 में ही शुरू हुई थी, और इसलिए सरकार के औपचारिक ढांचे में महिलाओं के प्रवेश के प्रभाव का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। जिस ने जितनी महिलाओं को राजनीतिक प्रणाली में लाया है, उसने बहुत बड़ा बदलाव किया है। संवैधानिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप राजनीतिक गतिविधि के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं का प्रतिशत नाटकीय रूप से बदल गया है, जो पहले 4–5 प्रतिशत से बाद में 25–40 प्रतिशत हो गया है। लेकिन अंतर गुणात्मक भी है, क्योंकि ये महिलाएं नागरिक समाज के शासन में अपना अनुभव ला रही हैं। इस तरह वे राज्य को गरीबी, असमानता और लैंगिक अन्याय के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बना रही हैं।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि सभी को देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। राजनीतिक मामलों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और जरूरतें सार्वजनिक नीतियों में परिलक्षित हों जो उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं।

राजनीतिक सशक्तीकरण को 'राजनीतिक प्रणाली में उन्हें एकीकृत करके निर्णय लेने की प्रक्रिया, योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन को प्रभावित करने की क्षमता' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य राजनीतिक भागीदारी से है जिसमें वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ना, अभियान चलाना, पार्टी की सदस्यता और सभी स्तरों पर राजनीतिक कार्यालय में प्रतिनिधित्व शामिल है और प्रभावी रूप से निर्णयों को प्रभावित करता है जिससे राजनीतिक सशक्तीकरण होता है।

राजनीतिक सशक्तिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर उचित मान्यता प्राप्त होती है, ताकि वे राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से समाज की विकास

प्रक्रिया में मानवीय गरिमा के साथ भागीदार के रूप में भाग ले सकें। राजनीतिक सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को नीतियों के निर्माण और राजनीतिक व्यवस्था में एकीकृत करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उनकी विशिष्ट भूमिका से है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय महिलाओं का संस्थागत राजनीति में बहुत कम प्रतिनिधित्व रहा है। पिछले दो दशकों में राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अधिक चिंता थी, जिससे सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। सकारात्मक कार्रवाई को राजनीतिक सशक्तिकरण के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। नेतृत्व केवल शासन करने के लिए ही नहीं बल्कि शासन की प्रकृति को बदलने के लिए भी आवश्यक है।

महिलाएँ और पंचायती राज

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से शुरू होता है। जमीनी स्तर के लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रारंभिक भागीदारी को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। भले ही आज की राजनीतिक व्यवस्था में स्थानीय निकायों में महिलाओं को कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है, यानी महिलाओं को रबर–स्टैम्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वास्तविक निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य ही ले रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं ने भले ही पुरुषों के गढ़ में धावा बोल दिया हो, लेकिन कई मामलों में उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य ही फैसले लेते हैं। कथित तौर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके पुरुष रिश्तेदारों की प्रतिनिधि बना दिया गया है। पुरुष समकक्षों द्वारा वास्तविक शासन की ऐसी प्रणाली को रोकना होगा और पीआरआई में महिलाओं को उचित महत्व देना होगा।

पंचायती राज संस्था में शामिल किए गए परिवर्तनों में राजनीतिक व्यवस्था और निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त पहल और उपाय करके ही सफल हो सकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं होगा जब तक उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। इस उद्देश्य को राजनीतिक गतिविधियों के सबसे निचले स्तर पर भी अधिकतम संख्या में महिलाओं को राजनीतिक मामलों से जोड़ने और संबद्ध करने का प्रावधान करके वांछित स्तर पर प्राप्त किया जाना चाहिए। हाल ही में शुरू की गई पंचायती राज संस्थाओं में, महिलाओं के पक्ष में आरक्षण की नीति को स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी को अधिकतम करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में माना गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियों में राजनीतिक व्यवस्था और निर्णय लेने की प्रक्रिया

पंचायती राज संस्था के संविधान के 73वें संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत के ग्राम प्रधानों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और सामान्य जाति की महिला सदस्यों के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। संकल्पनात्मक रूप से, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में लोगों की पारंपरिक धारणा को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, विशेष रूप से महिलाओं को

पुरुषों के अधीन रखने, कुछ अवसरों का लाभ उठाने में उनके खिलाफ घरों और समाज द्वारा प्रतिबंध ा लगाने और कई अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक बंधनों के संदर्भ में जो मौजूदा सामाजिक और आर्थिक सेटिंग में व्यक्तिगत जीवन शैली और स्थिति में सुधार करने के लिए उनके प्रतिकूल हैं। परिणामस्वरूप यह नई शुरू की गई नीति सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समानता बढ़ाने, आपसी समझ में विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी, घर में स्थिति और भूमिका और घरों से बाहर की गतिविधियों और पुरुषों और महिलाओं के बीच परिवार की विभिन्न निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की संभावनाओं को बढ़ाएगी। विभिन्न विकास कार्यक्रमों की शुरूआत के प्रति निर्वाचित महिलाओं का दृष्टिकोण और इरादा तथा शुरू किए गए कार्यक्रमों से गांव की आबादी के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए प्रयास करने की क्षमता जैसे कारक भी ग्राम पंचायतों के सामाजिक परिवेश में महिला प्रतिनिधियों की स्थिति में सुधार लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया से महिलाओं के सशक्तीकरण में वृद्धि होगी और उसे मजबूती मिलेगी।

पीआरआई में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए पहल

शासन के जमीनी स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की शक्ति में सुधार लाने तथा पीआरआई में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल और प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए।

- शासन में महिलाओं की भागीदारी को अधिक संख्या में बढ़ाने के लिए उपाय अपनाए जाने चाहिए।
- इन संस्थाओं के निर्वाचित नेताओं को कम से कम साक्षर होना चाहिए, ताकि वे ग्रामीणों को पी.आर.–अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बता सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें।
- साक्षरता ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से बताने में मदद करती है। इसलिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता में सुधार के लिए कदम उठाना समय की मांग है।
- सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए महिलाओं के नेतृत्व और संचार कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है।
- अनिवार्य रूप से, उन्हें प्रशिक्षित करना, राज्य के भीतर स्थानीय स्वशासन की अन्य परतों के साथ जुड़ने के तरीके और साधन खोजना तथा पंचायत के अधिकारों का दावा करना।
- उन्हें राज्य और केंद्र सरकारों के ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रमों से परिचित कराना।
- नियोजन के संदर्भ में कोई गुटबाजी और दलीय राजनीति नहीं होनी चाहिए, अर्थात योजनाओं का चयन और स्थान, बल्कि विकेंद्रीकृत नियोजन को मजबूत करने के लिए परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन आवश्यक है।
- उन्हें सांस्कृतिक बाधाओं को पहचानने और तोड़ने तथा अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सशक्त बनाना।
- स्थानीय विधायकों के रूप में अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए ग्रामीण महिलाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित जागरूकता की आवश्यकता है।

- इसके अलावा, ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित साहित्य पंचायती नेताओं के साथ–साथ आम ग्रामीणों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वे अपने कार्यों और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं से अधिक परिचित हो सकें। इसके अलावा, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सभी दिशा–निर्देश पंचायती नेताओं और आम ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जाने
- महिला पंचायत सदस्यों को उनके स्थानीय अनुभव के आधार पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा एक ऐसा ढांचा तैयार करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे वे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का विश्लेषण और समझ सकें।
- चल रहे ई–युग में, महिलाओं को सभी क्षेत्रों में सशक्त बनाने के साथ–साथ राजनीतिक क्षेत्र को भी महत्व देते हुए प्रौद्योगिकी को व्यापक महत्व दिया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया के संदर्भ में, पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को भी स्वयं और गांव के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।

निष्कर्ष

हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से महिलाओं को एक अच्छे प्रशासक, निर्णयकर्ता या एक अच्छे नेता के रूप में अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 इस संबंध में एक मील का पत्थर है। यह महिलाओं को आगे आने का मौका देता है। यह प्रयोग विशेष रूप से महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलकर प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का अवसर प्रदान करके एक बड़ी सफलता साबित हो रहा है। इस बात पर विचार करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के आरंभिक चरण में ही ग्राम पंचायतों में सुयोग्य महिलाओं को शामिल करना महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार तथा उन्हें सशक्त बनाने की योजना बनाने में महत्वपूर्ण सहायक उपाय होगा। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। महिलाओं को उचित दर्जा देने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों तथा विश्वविद्यालयों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यदि महिलाओं के इस समूह को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए तो वे महिलाओं की बेहतरी से संबंधित मुद्दों को मजबूती से उठा सकती हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं तथा बैठक में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिशें कर सकती हैं। इससे महिलाओं को सेवाओं के डिजाइन तथा प्रावधानों तथा संसाधनों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण रखने के अवसर मिलेंगे। स्थानीय राजनीति में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं की अच्छी संख्या, लिंग संबंधी एजेंडों को आगे बढ़ाना लिंग समानता की दिशा में एक रास्ता माना जा रहा है।

संदर्भ

1. आरती शर्मा, पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में विशेष संदर्भ) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा 2021 में प्रस्तुत पीएचडी थीसिस, पृ० सं०–**87–89**.

2. श्रीवत्स, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और पंचायत राज, योजना अभिलेखागार, अक्टूबर 2016
3. कृतिक, भारत में राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण प्रभाव इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी साइंटिफिक रिसर्च (आईजेएएमएसआर) खंड 4, अंक 8, 2021, पृ० सं०–**3**.
4. गुरमीत कौर और वीरदीप कौर, विकास और भागीदारीः पंजाब में महिला सरपंच, खंड 6, अंक 1, आईजेआरएआर मार्च 2019, पृ० सं०–**1243**।
5. भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के अवसर और चुनौतियां भारत में चुनिंदा जिलों से शोध निष्कर्षों का एक संश्लेषण, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए महिलाओं और संयुक्त राष्ट्र के षोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, आईसीआरडब्ल्यू – संयुक्त राष्ट्र महिला संयुक्त प्रकाशन, 2012, पृ० सं०–**1**